भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.2904**

12.12.2016 को उत्‍तर के लिए

**नदियों और जल निकायों को प्रदूषण से बचाना**

**2904. श्री के. के. रागेश:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन और तीर्थ स्थलों के समीप स्थित नदियों और जल निकायों को प्रदूषण से बचाने के लिए कोर्इ दिशानिर्देश विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) सरकार द्वारा समूचे देश की नदियों और जल निकायों में निस्‍सारण के लिए अधिसूचित किये गये बहि:स्राव मानक पर्यटन तथा तीर्थ-स्‍थलों के लिए भी लागू होते हैं। साथ ही, पर्यावरण (सरंक्षण) नियम, 1986 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 'स्‍नान के जल' संबंधी प्राथमिक जल गुणवत्‍ता मानदंड पर्यटन तथा तीर्थ-स्‍थलों के समीप स्थित नदियों और जल निकायों पर भी लागू होते हैं।

पूजा के बाद मूर्तियों को सामान्‍य तौर पर तीर्थ-स्‍थलों के समीप की नदियों तथा जल निकायों में विसर्जित कर दिया जाता है। अत: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने मूर्ति विसर्जन से नदियों तथा अन्‍य जल निकायों में होने वाले प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए विशिष्‍ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा विसर्जनों के पहले और बाद में जल निकायों की जल गुणवत्‍ता का मूल्‍यांकन किया जाएगा, संबंधित आंकड़ों को इंटरनेट पर दर्शाया जाएगा और इस उद्देश्‍य हेतु जन चेतना जागृत करने संबंधी सामग्री तैयार करने में स्‍थानीय प्रशासन की सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्‍त, इन दिशा-निर्देशों में यह भी निर्धारित है कि मूर्तियों का निर्माण पारंपरिक मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से किया जाएगा, मूर्तियों को रंगने के लिए जल में घुलनशील तथा नॉन-टॉक्सिक प्राकृतिक रंजक सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा; फूलों, कपड़ों, सजावटी सामग्रियों (कागज और प्‍लास्टिक से बनी) जैसी पूजा सामग्रियों को मूर्तियों के विसर्जन से पहले हटा दिया जाएगा; पुनच्रर्कण अथवा कंपोस्टिंग के लिए बायोडिग्रेबल सामग्रियों को अलग से इकट्ठा किया जाएगा; नॉन-बायोडिग्रेबल सामग्रियों को सेनिट्री-लैडफिल्‍स में निस्‍तारित किया जाएगा, नदियों में मूर्तियों का विसर्जन नदी के किनारे ऐसे अस्‍थायी तलाबों में निर्धारित मूर्ति विसर्जन स्‍थलों पर किया जाएगा जहां मिट्टी के बने ऐसे बांध हों जिनके तल पर हटाये जा सकने योग्‍य सिंथेटिक-लाइनर्स हों। इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्‍वयन हेतु सभी राज्‍यों तथा संघ राज्‍य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

सरकार ने ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन नियम, 2016 भी अधिसूचित किए हैं, जिनमें इन नियमों के अधिकार क्षेत्र को नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों से परे बढ़ाया गया है और अन्‍य बातों के साथ-साथ, तीर्थ स्‍थल, धार्मिक स्‍थल तथा ऐतिहासिक महत्‍व के स्‍थल शामिल किये गये हैं। इन नियमों में, पर्वतीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्‍ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के मानदंडों और संबंधित स्‍थानीय निकायों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का भी उल्‍लेख है।

\*\*\*\*\*